FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

02 / 371 / 30/8/24

...मा राजवन्ती .... बनाम ओमप्रकाश वगै. .... नं० 02/371 .... सन् 2024

धारा 212

...क्रम	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
...08.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रोहिताश वर्मा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत मूलवाद के साथ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत एकपक्षीय बहस सुनी गई। संपूर्ण पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। अतः सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः उभयपक्षकारन के विरूद्ध आगामी आदेशों तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारन आगामी आदेशों तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी खसरा नं. 1314/1.01 है0 वाके ग्राम दोहली तहसील रामगढ उभयपक्षकारन आगामी आदेशो तक मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाए रखे तथा प्रार्थी के कब्जेकाश्त में रूकावट व मजामहत ना करे तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि. ए.डी. नोटिस तामील जारी हो। पत्रावली बाद तामील दिनांक 17.10.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)	
05/12/25	पत्रावली पीठासीन पेश हुई। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 20/02/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13.2.25	पत्रावली आज वादनी के प्रा.पत्र पर पेश हुई उक्त प्रकरण मे मूल दावा नोट-प्रेस मे खारिज किया जा चुका है इसलिये 212 RTA का कोई औचित्य नही है। अतः 212 RTA को भी नोट प्रेस मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगढ	राजवंती